

nation is adversely affected. Because of the vulnerability of the coastline the Government of India must think of an alternate rail line in the interior of Andhra Pradesh, off the sea coast. I would suggest that a new railway line from Nadikudi to Venkatagiri via Vinukonda, Darsi, Pondili and Kanigiri, may be constructed by the South Central Railway. Madam, I understand that survey for the aforesaid line has already been made.

Madam, you would appreciate if I say that this Government must rise to the occasion and construct a new railway line in the backward areas where there is no rail link. I would like to bring to the notice of this august House that after independence, the Government of India could lay hardly 8,000 kms. of railway line when compared to the Britishers who could lay 55,000 kms. of railway line within a span of 96 years. I, therefore, appeal once again that an alternate railway line from Madras to Vijayawada may immediately be constructed so that the backward areas in the districts of Guntur, Prakasam and Nellore in Andhra Pradesh, can be developed early.

Similar action may also be taken for developing North-Eastern States whose capitals are not connected with Delhi. I would once again request the hon. Railway Minister to consider and include my proposal for construction of a new railway line from Madras to Vijayawada in the next Budget for the year 1997-98. Thank you.

RE. CLOSURE OF ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY FOLLOWING DEATH OF A STUDENT IN POLICE FIRING ON 1/2ND OCTOBER, 1996

श्री मोहम्मद आज़म खान (उत्तर प्रदेश): मैडम, मैं एक बहुत ही अहम मुद्दा सरकार के सामने और सदन के सामने रखने वाला हूँ। गुलाम हिन्दुस्तान में बहुत कम तालीम थी और शायद हमारे अनपढ़ होने का, अनएजुकेटेड होने का अंग्रेजों ने ज्यादा फायदा उठाया, गुलामी के दिन ज्यादा लम्बे हुए और उनकी साम्राज्यीयत ज्यादा दिन हिन्दुस्तान में चली। ऐसे जमाने में, जब लोग तालीम की तरफ बहुत कम नजर रखते थे, दो लोग इस मुल्क में ऐसे पैदा हुए जिन्होंने बड़ी तकलीफें उठाकर एक नया पैगाम

समाज को दिया - मदन मोहन मालवीय और सर सैयद अहमद साहब। दोनों ने अंग्रेजों जैसी ज़ालिम साम्राज्यीयत से अपनी तालीम के प्रोग्राम को मनवाने में कामयाबी हासिल की और इस तरह एक यूनिवर्सिटी बनारस में कायम हुई जिसे बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया और दूसरी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में कायम हुई, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया।

बहुत से नशेबोफराज़ आए और अफसोस यह है कि आज़ाद हिन्दुस्तान में जैसे-जैसे सरकारें बदलीं और नए-नए दल सत्ता में आए, उनके देखने का तरीका बदलता चला गया। एक वक्त वह आया जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनोरिटी कैरेक्टर खत्म हुआ और फिर लोग सड़कों पर उतरकर आए और रेस्टोरेशन ऑफ माइनोरिटी कैरेक्टर हुआ। आम तौर पर हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सुप्रीम गवर्निंग बॉडी कोर्ट होती है। अलीगढ़ में भी ऐसा ही है। वाईस-चांसलर ने चयन के लिए कोर्ट 5 नाम देती है। ऐक्ज़ीक्यूटिव काउंसिल उन 5 में से 3 नामों का चुनाव करती है और ये 3 नाम फिर विज़िटर को जाते हैं जो कि राष्ट्रपति महोदय हैं। उसमें से एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाईस-चांसलर होता है।

महोदया, यह एक विडंबना ही है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बनते वक्त पंडित मदन मोहन मालवीय ने खुद अपनी कौम से और अंग्रेजों से मुकाबला करके इस यूनिवर्सिटी को बनवाया ठीक उसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए सर सैयद अहमद खान ने भी अपने लोगों से मुकाबला किया। मसलन उन्हें एक पार्सल मिला, जिसमें एक जूतों का हार था और एक खत था जिसमें लिखा था कि "सर सैयद अहमद, चूँकि तुम क्रिस्टियन हो गए हो या ईसाई हो गए हो, तुम यह हार अपने गले में पहन लो"। लाहौर के इज़लास में जब सर सैयद अहमद यूनिवर्सिटी के लिए चंदा लेने के लिए खड़े हुए तो लोगों ने उन पर पत्थर और जूते फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने वजह पूछी तो लोगों ने कहा कि - "सर सैयद अहमद, चूँकि तुम काफिर हो गए हो, इसलिए तुम्हें मुसलमानों के इदारे को कायम करने का हक नहीं है और हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे"। उन सर सैयद अहमद ने अपनी ही कौम के पत्थर खाते हुए यह कहा कि क्या इस्लाम किसी काफिर को मुसलमान होने का इज़ाज़त नहीं देता? यह कहकर उन्होंने "ला इल्लाह इल्लाल्लाह, मुहम्मदु-र-रसूलल्लाह" कहकर उन्होंने लोगों के गुस्से को ठंडा कर दिया। तारीख इस बात की गवाह है कि उस जलसे में जो औरतें बहुत गुस्से में आई थीं, उन्होंने अपने कानों के बूंदे निकालकर सर सैयद अहमद की झोली में डाल दिए। सर सैयद

अहमद ने तवायफों से चंदा लिया। लोगों ने कहा कि तुम रंडी का पैसा लगाओगे? सर सैयद अहमद ने कहा कि मुझे इस इदारे के लिए गुसलखाने और पाखाने बनवाने हैं, यह पैसा मैं वहां लगाऊंगा।

उन्हें एक पार्सल मिला जिसमें लिखा था कि यह जुते का हार तुम अपने गले में डाल लेना। सर सैयद अहमद ने उस खत लिखने वाले की वसीयत के मुताबिक, जो अब शायद नहीं होगा इस दुनिया में, उस जुते के हार को अपने गले में डाला, उसे बाजार में फरोख्त किया। यह हार 3 पैसे में बिका जिसमें से एक पैसे का खत उन्होंने लिखा और जवाब में लिखा कि "तुमने जैसा लिखा था, मैंने वैसा ही किया लेकिन इस हार को मैंने बाजार में बेच दिया। इससे मुझे 3 पैसे मिले जिसमें से एक पैसे का मैं खत लिख रहा हूँ और 2 पैसे मैं साइंटिफिक सोसायटी में तुम्हारे नाम से बतौर चंदे के दाखिल कर रहा हूँ"। जो इदारा इतनी कुर्बानियों से बना हो, आज उसकी क्या हालत हो रही है? महोदया, 2 अक्टूबर, जिसे हम बाबा-ए-कौम को पैदाइश का दिन मानते हैं, उस दिन जब बच्चों ने यह कहा कि खाने में फूड-प्वाइजनिंग हो गई है, वे इदारे के मुखिया से मिलने गए तो वाईस-चांसलर ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया?

महोदया, जो वाईस-चांसलर कश्मीर में रहा है, जिसने कश्मीर के आतंकवाद को खत्म करने का दावा किया था, वह एक अकेला वाईस-चांसलर है पूरे हिंदुस्तान में जो अपने साथ कम से कम 15-20 ब्लैक कमांडो लेकर चलता है, वह अपने आप में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक कलंक है। उन्होंने न सिर्फ लड़कों को मरने के लिए छोड़ दिया बल्कि एक पीके पर ऐसा हुआ कि खुद वाईस-चांसलर ने स्टूडेंट्स यूनियन के सेक्रेटरी के माथे पर अपना लाइसेंस रिवाल्वर निकालकर रख दिया। वह ऐसा वाईस-चांसलर है जो लड़कों की विपदा सुनने के बजाय कि उन्हें फूड-प्वाइजनिंग हो गई है, पुलिस को बुलाता है। महोदया, कोठी से 2 हजार मीटर के फसाले पर एक लड़का जिसका नाम नदीम था, जो आजमगढ़ का रहने वाला था, उसकी पीठ में गोली मारी जाती है।

उपसभापति: थोड़ा संक्षेप में बोल दीजिए। आपका मामला तो पुलिस फायरिंग के बारे में है।

श्री मोहम्मद आजम खान: वही मैं कह रहा था। महोदया, जिस लड़के की पीठ में गोली मारी जाती है, वह लड़का वहीं पर मर जाता है, उसकी लाश सारी रात वहीं पड़ी रहती है और यूनिवर्सिटी का वाईस-चांसलर जो

यूनिवर्सिटी छोड़कर चला गया है, उस लड़के की लाश को उठाने तक की व्यवस्था नहीं करता। वाईस-चांसलर का यह कहना है कि यह स्टूडेंट्स के आपसी झगड़े का परिणाम है जब कि कुछ अन्य लोगों का कहना है कि यह लड़का पुलिस की गोली से मारा गया है। इन दोनों में विरोधाभास है। जो लड़का मारा गया है वह एम.एस.सी. फाइनल ईयर का मैरिटोरियस स्टूडेंट था और जिन लड़कों को रेस्पेक्ट किया गया है, वे सब टॉपर्स हैं।

इसे लेकर न सिर्फ यूनिवर्सिटी कैम्पस में बेचैनी है बल्कि खुद मुसलमानों के अंदर और उन हिन्दुओं के अंदर जो हिन्दुस्तान में सैक्युलरिज्म को जिन्दा और बाकी देखना चाहते हैं और एक ऐसा इदारा जो बड़ी बदनामियों के घेरे में है जिसके बारे में यह समझा जाता होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई हिन्दू भाई या दूसरी कौम के लोग नहीं पढ़ते, वहां के बारे में इस सदन को बताना जरूरी होगा कि मेडिकल फेकल्टी में 70 से लेकर 75 परसेंट तक स्टूडेंट नॉन मुस्लिम हैं। साइंस फेकल्टी और इंजीनियरिंग कॉलेज में वहां 60 से लेकर 70 परसेंट तक स्टूडेंट नॉन मुस्लिम हैं। लेकिन नाम उसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से है। इसमें यकीनन नफरतों के पत्थर पड़ते हैं लेकिन आज हम इस सदन से और सरकार से यह जरूर जानना चाहते हैं कि वहां का वाईस चांसलर जो ब्लैक कमांडो लेकर चलता हो, एक ऐसा वाईस चांसलर जिसकी बजह से वह लड़का मारा गया हो ... (व्यवधान)

उपसभापति: अभी मुझे आजम साहब, I have got many other names here.

श्री मोहम्मद आजम खान: दरसल मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि उस कैम्पस के बाहर के लोग यह चाहते हैं कि दो अक्टूबर की रात को चली हुई गोली के हादसे की सी.बी.आई. जांच होनी चाहिए। जो विक्टिम आज उस स्टूडेंट को हा रहा है वह खत्म होना चाहिए। यह यूनिवर्सिटी जो कि बहुत दिनों से बंद है उस यूनिवर्सिटी को फौरन खोलकर स्टूडेंट का एकेडमिक कैरियर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत-बहुत श्रुतियां।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी (बिहार): मैडम, मैं न कहना चाहता हूँ कि वह बच्चा जो मरा है उसकी पीठ में गोली मारी गई थी ... (व्यवधान)

مولانا عبید اللہ خاں اعظمی: میڈم۔
میں بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ بچہ جو مرا
ہو اسکو میں جانتا ہوں جو بڑی طرح سے مارا
گیا۔ ... مدخلت ...

उपसभापति: उन्होंने बहुत तफसील से बतला दिया है। ... (व्यवधान)

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी: इसमें मामले की जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो और उस बच्चे के खानदान के लोगों को ईसाफ मिले। यूनिवर्सिटी के कानूनी माहौल को जो बरबाद किया जा रहा है, कानून का माहौल फिर से आबाद हो। धन्यवाद।

مولانا عبید اللہ خاں اعظمی: اس
میں معاملہ کی جانچ ہو تا کہ خود دھ کا
دو دھ اور پانی کا پانی صاف ہو۔ اور
اس بچے کے خاندان کے لوگوں کو انصاف
ملے۔ یونیورسٹی کے قانونی ماحول کو جو
برباد کیا جا رہا ہے۔ قانون کا ماحول پھر
سے آباد ہو۔ شکریہ

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): मैडम, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। वह लड़का हमारे शहर का था और मेरिटोरियस स्टूडेंट था और वह पुलिस की गोली से मारा गया। इसलिए आजम खान

साहब ने जो कहा है, मैं चाहता हूँ कि उसकी जांच हो और वाईस चंसलर फौरन हटया जाए। ... (व्यवधान)

उपसभापति: बर्नस गया। उन्होंने यही तो बोला है। कहिए, मैं उनका हर बात का समर्थन करती हूँ। ... (व्यवधान)

श्री ईश दत्त यादव: मैं वाईस चंसलर को तुरन्त हटाने की मांग करता हूँ। अगर वह नहीं हटया जाएगा तो वहाँ यूनिवर्सिटी में पठन-पाठन का काम नहीं हो सकता। उसकी उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। वह लड़का जो मारा गया है बहुत ही मेरिटोरियस था। उसको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वह मेरे पास का रहने वाला है। ... (व्यवधान)

PROF. SAIFUDDIN SOZ (JAMMU AND KASHMIR): I have a point of order.

मैडम, जहां तक आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी की तारीफ बताई, वह बड़े अच्छे अल्फाज में बताई। मैं उनके साथ मुताफिक हूँ। लेकिन उन्होंने तकरीबन अपने अल्फाज में वाईस चंसलर के खिलाफ जजमेंट दिया जिस पर मुझे ऐतराज है। हमारे रूल में यह है कि जो शख्स आपके सामने नहीं है ... (व्यवधान) वहां के वाईस चंसलर जो हैं और उनके खिलाफ उन्होंने जजमेंट दे दिया ... (व्यवधान)

उपसभापति: यहां किसी का नाम नहीं लेते। आप नाम ले रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन सोज: यह सही नहीं है कि कोई जजमेंट दे कि वाईस चंसलर खराब है, उनको हटया जाए ... (व्यवधान) मैं कहता हूँ कि जांच की जाए ... (व्यवधान) ऐसा करना किसी मैनबर को इजाजत नहीं देता। ... (व्यवधान)

उपसभापति: सीज़ साहब, जरा तशरीफ रखिए ... (व्यवधान) आजम साहब, आपने बोल दिया है, आप बैठिए। ... (व्यवधान)

PROF. SAIFUDDIN SOZ: Anything against the Vice-Chancellor should be removed from the record. Have you had the inquiry done?

उपसभापति: एक मिनट बैठिए, आप भी बैठ जाइए। ... (व्यवधान) काफी समय इस पर दिया। बहुत से नाम अभी लिस्ट में हैं और दूसरे मसलों पर मामला उठाना चाहते हैं। सवाल यह है कि एक बच्चा मरा है, सरकार उसकी इन्क्वायरी करे कि किस तरह से मरा। उसमें जो भी दोषी साबित हो, चाहे कोई भी हो उसकी इन्क्वायरी हो। जो भी उसके साथ कानून के जरिए सलूक होना चाहिए वह होगा। अब इस पर दो राय नहीं है।